



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 434 राँची, गुरुवार, 8 सितम्बर, 2022 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

5 सितम्बर, 2022

विषय:-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं (60% केन्द्रांश: 40% राज्यांश) के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में पी०एल० खाते में जमा राज्यांश मद की राशि कुल रू० 62,18,73,477/- [बासठ करोड़ अठारह लाख तिहत्तर हजार चार सौ सतहत्तर) रुपये झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-332 को क्षांत करते हुए अग्रिम निकासी कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन] झारखण्ड के SNA खाते में हस्तांतरित करने के संबंध में ।

पत्रांक : 09/RCH-869/2021-195(21)--स्वास्थ्य] चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग] झारखण्ड] राँची के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन] झारखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों (60:40) के लिए वर्ष 2016-17 में राज्यांश मद की बकाया राशि कुल 1,52,80,00,000/- (एक अरब बावन करोड़ अस्सी लाख) रुपये विभागीय आवंटनादेश संख्या-14(5) ब दिनांक-28.05.2017 एवं शुद्धि पत्र संख्या 22 (5) ब दिनांक-03.08.2017 द्वारा आवंटित किया गया था ।

निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ झारखण्ड द्वारा इस राशि की निकासी करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के पी०एल० खाते में दिनांक-23.08.2017 को जमा किया गया।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखण्ड के द्वारा पी०एल० खाते में प्राप्त उक्त राशि का आंशिक व्यय अनुवर्ती वर्षों में किया गया। वर्ष 2021-22 में अवशेष राशि को Revalidate कराया गया। फिर भी प्राप्त पूरी राशि का व्यय नहीं हो सका तथा वर्तमान में कुल ₹ 62,18,73,477/- (बासठ करोड़ अठारह लाख तिहत्तर हजार चार सौ सतहत्तर) रुपये पी०एल० खाते में शेष है।

3. भारत सरकार के पत्रांक-1(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक-23.03.2022 एवं अर्द्ध सरकारी पत्रांक &G.27034/270/2019-20NHM(F) दिनांक-06.04.2022 में निहित निदेश के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखण्ड के अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में दिनांक-31.03.2022 तक आवंटित तथा इसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा देय आनुपातिक राज्यांश की पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के SNA खाते में जमा किये जाने के पश्चात् ही भारत सरकार चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश की राशि विमुक्त की जाएगी। परन्तु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-332 के तहत पी०एल० खाते में जमा उक्त राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में मंत्रिपरिषद् से उक्त राशि की अग्रिम निकासी कर SNA खाता में हस्तांतरित करने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-332 में वर्णित प्रावधान को क्षांत करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया गया।

4. उपर्युक्त के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के पी०एल० खाते में जमा राज्यांश राशि ₹ 62,18,73,477/- (बासठ करोड़ अठारह लाख तिहत्तर हजार चार सौ सतहत्तर) रुपये झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-332 को क्षांत करते हुए अग्रिम निकासी कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के SNA खाता में जमा करने की स्वीकृति दी जाती है।

5. इसमें मंत्रिपरिषद् की दिनांक-24.08.2022 के मद संख्या-28 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव।
